

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:--सीआईडी / सी.बी. / पीआरसी / परिपत्र / (35) / 2012 / 9973 - 98 दिनांक:--20-11-2012-

परिपत्र

विषय:-- सम्मन वारन्ट की तामील के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सी.आई.डी. / सी.बी. / पीआरसी / परिपत्र / (35) / 2012 / 6246-95 दिनांक 23.07.2012 की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं जिनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए :-

1. सम्मन वारन्ट की तामील यथा संभव बीट पुलिसकर्मी द्वारा करवाई जाए। उसके द्वारा बार-बार अदम तामील प्रस्तुत करने पर बीट प्रभारी से तामील करवाई जाए। उसके द्वारा भी अदम तामील प्रस्तुत करने पर अन्य बीट कानि० से तामील करवाई जाए व तामील होने की दूरत में सम्बंधित बीट कानि० के खिलाफ दिनागीय कार्रवाई की जाए।

2. गिरफ्तारी वारन्ट के निष्पादन के क्रम में अपराधी के गिरफ्तार होने पर उसकी सूचना तत्काल उस जिले को दी जाए जहाँ वह अपराध वाछत ह। उस जिले के पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एक पुलिस दल उस स्थान के लिए रवाना करेगा जहाँ वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है।

3. उद्घोषित अपराधी के खिलाफ धारा 82 द.प्र.सं. के अन्तर्गत उद्घोषणा प्रकाशित होने के उपरान्त भी वांछित अपराधी के नियत समय व स्थान पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उसके विरुद्ध सम्बन्धित थाने में धारा 174ए भा.द.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।

4. इस सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक: सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2011 / 495-534 दिनांक 25.01.2011 की भी पालना एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।



(कपिल गर्ग)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।